FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0154 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/06/2026 19:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 05/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 19:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:19 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/06/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/06/2026 19:29:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 255 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PARISAR KOTA VIKAS PRADHIKARAN, KOTA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GAJENDRA KUMAR MEHATA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHIVNARAYAN MEHATA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	C 10, SHRINATHPURAM,KOTA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	C 10, SHRINATHPURAM,KOTA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KAPILRAJ		पिता:NANDLAL	1. 28,JAIN MANDIR KE PASS,HIMMAT NAGAR-2,KUNHADI,KUNADI,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA
2	JUGALKISHOR MEENA		पिता:MAHAVEER PRASAD MEENA	1. RAMPURIYA,MANGROL,BARAN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** **(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)** **(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात इस प्रकार है कि दिनांक 27.05.2026 समय 07.00 पी.एम. पर परिवादी गजेन्द्र मेहता, हाल अधिवक्ता, न्यायालय कोटा उपस्थित आया और श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि “ प्रार्थी पेशे से वकील हैं प्रार्थी का मकान नं. 10, सी, श्रीनाथपुरम पुनर्रवास योजना कोटा में निवास करता हूं। उक्त पते का मकान मेरे माताजी का देहान्त हो जाने के कारण मेरे भाई व बहिन ने मेरे नाम रिलिजडीड करवा दी थी उसके पष्चात मेरे द्वारा नाम हस्तांतरण बाबत ऑनलाईन आवेदन कोटा विकास प्राधिकरण कोटा में किया गया था। उक्त आवेदन पर रिमार्क लगाये जाने पर मैं कोटा विकास प्राधिकरण कोटा गया तो वंहा पर कपिल नाम का व्यक्ति कमरा नं. 212 में मिला, मैने मेरे आवेदन के बारे में उससे बात की तो उसने स्वयं को कोटा विकास प्राधिकरण कोटा का कर्मचारी बताया तथा कहा कि तुम्हारा काम हो जायेगा, तुम्हारे कार्य के लिए केडीए शुल्क जमा होगा तथा बाद मे विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए तुम 20,000 रू. मुझे दे दो मैं तुमको उसकी रसीद दूंगा। इसके कुछ समय बाद मैने कपिल को केडीए में नाम हस्तांतरण हेतु शुल्क जमा कराने तथा विज्ञप्ति हेतु 20,000 रू. दे दिये तथा इसके बाद आपको मेरा मेहनताना देना पडेगा मैने कहा अभी मेरा काम तो कराओ इसके कई दिन तक मेरा काम नहीं हुआ तथा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की तरफ से दिनंाक 24.05.2026 को मेरे कार्य के लिए रिमार्क लगाया गया, इसके बाद मैं आज के.डी.ए. में जाकर कपिल से मिला तो उसने कहा कि पहले वाले अधिकारी का स्थानांतरण हो गया हैं तथा नये अधिकारी जुगलकिशोर जी आये हैं, जिनको 50,000 रू. देने पडेंेगे जब ही आपका काम होगा। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे वो 20,000 रू. भी गये तथा ये काम भी नहीं होगा। 50,000 रू. देने के लिए तैयार हो तो मैं जुगलकिशोर जी से बात करूं, जिस पर मैने कपिल को रिश्वत की राशि 50,000 रू. ओर देने का आष्वासन दिया है। मैं मेरे वैध कार्य की एवज में केडीए. के कर्मचारी कपिल एवं जुगलकिशोर को रिश्वत नहीं देना चाहता तथा इन दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरा इनसे पूर्व से कोई लेनदेन बकाया नहीं हैं, कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवष्यक होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर श्री गजेन्द्र मेहता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई गई। परिवादी ने बताया की आज कार्यालय समय खत्म हो चुका है तथा कल ईद की छुट्टी हैं इसलिए अब मैं दिनांक 29.05.2026 को कोर्ट के समय के बाद आऊंगा। इस पर परिवादी को आवशयक हिदायत कर रवाना किया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 29.05.2026 समय 01.30 पी.एम. पर परिवादी गजेन्द्र मेहता कार्यालय हाजा उपस्थित आया, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मालखाने से निकलवाया जाकर वास्ते रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी को सूपूर्दकर आरोपी के पास कोटा विकास प्राधीकरण कोटा रवाना किया गया। परिवादी की निगरानी हेतु श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 के परिवादी के हमराह रवाना किया गया। समय 2.30 पी.एम. श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के कार्यालय हाजा उपस्थित आया, जाहिर किया कि मैं, परिवादी के साथ उसकी कार से के.डी.ए. जाने के लिए रवाना हुआ था रास्ते में मल्टीपरपज स्कूल गुमानपुरा के पास, परिवादी ने फोन करके आरोपी सें मिलने के लिए पूछा तो आरोपी ने बताया कि अभी मेरी के.डी.ए. में आये नये अधिकारी जुगलकिशोर मीणा जी से बात नहीं हुई हैं इसलिए आप आज मत आओ मैं आपको बता दूंगा जब आना, चूंकि आरोपी ने आज आईन्दा मिलने के लिए कहा हैं, अतः परिवादी व मैं वंहा से रवाना होकर चौकी हाजा आये तथा परिवादी के जरूरी काम होने से वह मुझे कार्यालय के बाहर ही छोडकर चला गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मालखाने में सुरक्षित रखा गया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 01.06.2026 समय 12.51 पी.एम. पर परिवादी गजेन्द्र मेहता कार्यालय हाजा उपस्थित आया, परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के वास्ते रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु सुपूर्दकर मय श्री नरेन्द्र सिंह है. कानि. 140 आरोपी के पास रवाना किया गया। समय करीब 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र मेहता मय डिजीटल

वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड एवं श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 के कार्यालय हाजा उपस्थित आया परिवादी ने सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द हालात में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को पेश बताया कि मैं मेरी कार से नरेन्द्र जी के साथ के.डी.ए. कोटा पहुंचा था, जहां पर नरेन्द्र जी को बिल्डिंग के नीचे छोडकर मैं कमरा नं. 212 में गया तो वंहा पर मुझे कपिल जी नहीं मिले जिस पर मैं कमरा नं. 212 से बाहर आया तो नरेन्द्र जी मुझे कमरा नं.12 के बाहर ही मिल गये मैने नरेन्द्र जी को कहा कि अभी वो यंहा पर नहीं हैं, जिस पर वंहा पर अन्य व्यक्ति उपस्थित होने सें इन्होने नीचे चलकर बात करने के लिए इषारा किया, नीचे हम दोनों अलग-अलग रास्ते से आये तथा कुछ समय तक मैं के.डी.ए. से बाहर नहीं आया तो नरेन्द्र जी ने मुझे फोन किया तो मैने इनको कहा कि वो यंहा पर नहीं हैं, जिस पर इन्होने कहा कि फोन करके पूछ लो कंहा पर हैं, जिसके बाद मैंने कपिल जी को फोन किया तो कपिल ने कहा कि आज तो मैं उज्जैन आ गया था तथा आपके कार्य के लिए मेरी जुगलकिशोर जी से बात हो गई आपका काम हो जायेगा। मैं जुगलकिशोर से मिला तथा उनको आपकी फाईल के बारे में बताया तो उन्होने कहा हैं कि फाईल मेरे पास रख दो मैं देख लूंगा, मैं आज कोटा आ जाऊंगा आप कल मुझसें मिल लेना आपका काम करवा देंगे आप कल के.डी.ए. आ जाना जिस पर मैने कहा हैं कि ठीक हैं मैं कल कोर्ट के बाद आपसे आकर मिलता हू। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई हैं, फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी को दिनांक 02.06.2026 को प्रातः 11.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा आने की हिदायत कर रवाना किया गया, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को मालखाने में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 02.06.2026 समय 12.50 पी.एम. पर परिवादी गजेन्द्र मेहता कार्यालय हाजा उपस्थित आया, परिवादी को मालखाने से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के वास्ते रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु मय श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 के परिवादी की कार से आरोपी के पास रवाना किया गया। इसके बाद समय 03.10 पी.एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र मेहता मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड एवं श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 के कार्यालय हाजा उपस्थित आया परिवादी ने सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द हालात में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को सुपुर्द कर बताया कि मैं मेरी कार से नरेन्द्र जी के साथ के.डी.ए. कोटा पहुंचा था, जहां पर नरेन्द्र जी को बिल्डिंग के नीचे छोडकर मैं कमरा नं. 212 में गया तो वंहा पर मुझे कपिल मिल गया था जिससे कुछ देर बातचीत करने के बाद कपिल मुझे पास के कमरे की तरफ ले गया तथा वंहा पर जुगलकिशोर जी के लिए पूछा तो वो कार्यालय में नहीं थे, जिसके बाद कपिल व मैं बिल्डिंग से नीचे चाय पीने के लिए आये जंहा पर मेरी कपिल से बात हुई हैं उसने मेरे कार्य के लिए 70,000 रू. मांगे तथा कहा कि 20,000 रू. तो आपने पहले दिये वो तथा 50,000 रू. ओर दो तो मैं आपका काम आगे बढाऊं मैने कहा कि अभी इतने पैसों की व्यवस्था नहीं हो सकती तो कपिल ने कहा कि अभी मैने आपके कहने पर जुगलकिशोर जी से बात कर ली थी तथा वो बिना पैसे के आपके काम को आगे नहीं बढायेंगे उन्होने भी उनसें ऊपर के अधिकारियों से बात की हैं, इसलिए पैसे तो देने ही पडेंगे मैने किश्तो में देने के लिए कहा तो कहा कि बीस हजार रू. अभी दे दो तथा बाकी के पैसे फिर फाईल विधि शाखा में जाने के बाद तथा शेश विज्ञप्ति निकल जाये जब दे देना तथा कपिल ने मुझे ये भी कहा कि आप पैसे लेकर आ जाओ मैं आपको सीधा जुगलकिशोर जी से ही मिला देता हूं आप उनको ही पैसे दे देना अभी वो कार्यालय में नहीं हैं उनकी ड्यूटि जनगणना में लगी हुई हैं वो शाम को ही कार्यालय में कुछ समय के लिए आते हैं उनके आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा तब आप पैसे लेकर आ जाना मैं आपको उनसें ही मिला दूंगा आप उनको ही पैसे दे देना इस पर मैने उसको कहा हैं कि ठीक हैं मैं आपके फोन का इन्तजार करूंगा। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई हैं। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी ने कहा कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि घर से लेकर आता हूं, तत्पश्चात परिवादी को रिश्वती राशि लेकर कार्यालय हाजा आने की हिदायत कर रवाना किया गया, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित रखा गया। समय 04.10 पी.एम. परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार के बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही होना संभावित है अतः ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान को लाने हेतु एक तहरीर कार्यालय पत्रांक 1235 दिनांक 02.06.2026 श्रीमान अधीक्षण अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल. कोटा के नाम जारी कर श्री मनोज कानि. 211 को गवाह लाने हेतु रवाना किया, जो कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल. कोटा से दो कार्मिक श्री रामचन्द्र सैनी पुत्र श्री ग्यारसीलाल सैनी जाति माली उम्र 44 साल निवासी- नान्ता जिला कोटा हाल हेल्पर प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, क्वालिटी कंट्रोल, जे.वी.वी.एन.एल. कोटा मो0न0 . श्री देशराज मेघवाल पुत्र श्री तुलसीराम मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 40 साल निवासी- गायत्री विहार द्वितीय, बोरखेडा कोटा हाल हेल्पर प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, कोटा ग्रामीण, जे.वी.वी.एन.एल.कोटा मो0न0 को हमराह लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। गवाहान से परिचय प्राप्त कर गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में शामिल होने की सहमति प्राप्त की, तो दोनो ने मौखिक स्वीकृति प्रदान की। समय 07.00 पी.एम.पर परिवादी श्री गजेन्द्र मेहता से श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. ने मोबाईल से बात की तो परिवादी ने बताया कि मेरे घर पर आवष्यक कार्य आ गया था इसलिए मैं आपके कार्यालय में नहीं आ सका अभी कुछ समय पहले मेरे पास कपिल का फोन आया था उसने कहा हैं कि जुगलकिशोर जी से मेरी बात हो गई हैं उन्होने कहा कि मैं क्या करूंगा मिलकर तुम ही पैसे रख लो मैं गजेन्द्र जी का काम कर दूंगा, जिस पर मैने कपिल को दिनांक

03.06.2026 को कोर्ट समय के बाद आने के लिए कहा हैं, इसलिए मैं रिश्वती राशि लेकर कल दिनांक 03.06.2026 को आपके कार्यालय में आता हूं। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 03.06.2026 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने के निर्देश देकर रूखसत किया गया। दिनांक 03.06.2026 समय 10.30 ए.एम. पर पूर्व सें पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामचन्द्र सैनी एवं श्री देशराज मेघवाल कार्यालय में उपस्थित आये। समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र मेहता कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा बताया कि मैने कपिल को कल दिनांक 02.06.2026 को सत्यापन के दौरान जुगलकिशोर सें मिलाने के लिए कहा था जब कपिल ने मुझे कहा था कि आप आ जाना तथा आपको उनसें मिलवा दूंगा आप अपने हाथो सें ही उनको पैसे दे देना तथा शाम को उसका फोन आया तो उसने मुझे बताया कि मैने जुगलकिशोर जी सें आपसे मिलने के लिए कहा तो जुगलकिशोर जी ने कहा हैं कि मैं क्या करूंगा मिलकर तुम ही मिल लेना तथा तुम ही पैसे ले लेना, किन्तु मैं जुगलकिशोर जी सें ही मिलना चाहता हूं तथा उनसें रिश्वत के संबंध में बात करना चाहता हूं अतः आज मैं कपिल से फिर सें बात करके देखता हूं हो सकता हैं वो मुझे जुगलकिशोर सें मिलाने के लिए तैयार हो जाये, इस पर परिवादी की वार्ता सें सहमत होकर समय 2 बजकर 53 मिनट पर परिवादी ने कपिल से वार्ता की तो कपिल ने कहा कि जुगलकिशोर जी को कार्यालय में आ जाने दो मैं आपको फोन करूं जब आप केडीए. आ जाना मैं आपकी उनसें बात कराने की कोशिश करूंगा। कपिल ने जुगलकिशोर के कार्यालय में उपस्थित आने पर आने के लिए कॉल करके सूचना देने के लिए कहा हैं, अतः परिवादी को कार्यालय में ही रहने की हिदायत की गई। समय 02.20 पी.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक अनिष अहमद, परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को अपने कक्ष में बुलाया तथा सभी का आपसी परिचय करवाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय रिकॉर्ड वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड, गवाह तलबी पत्र, फर्द सुपुर्दगी एवं प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय रनिंग नोट की पत्रावली, मुझको सुपुर्द कर समस्त हालात से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। समय 02.35 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के अपने कक्ष में आया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व हालात की जानकारी प्राप्त की परिवादी ने प्रार्थना पत्र अपनी हस्तलिखित होना बताया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड दोनों वार्ताओं को सुना गया तो परिवादी द्वारा श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को पूर्व में बताये गये हालात की पुष्टि हुई इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामचन्द्र सैनी एवं श्री देशराज मेघवाल को हालात बताये तथा होने वाली कार्यवाही से अवगत कराकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को पढवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही जो उन्होने मौखिक सहमति प्रदान कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये, तत्पश्चात आरोपी के कॉल के इन्तजार में कार्यालय में ही मुकिम रहे। समय 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता एवं आरोपी कपिलराज के मध्य दिनांक 01.06.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के लिए मिलने के संबंध में मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता की गई थी जिसको परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी कपिलराज की होना पहचान कर बताया । उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.05 पी.एम. पर परिवादी ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि अभी मेरे पास कपिल का कॉल आया तथा उसने बताया कि जुगलकिशोर जी अभी कार्यालय में आ गये हैं आप तुरंत आ जाओ, जिस पर मैने उसको कहा हैं कि मैं अभी बजार हूं थोडी देर में आता। किन्तु अभी 6 बजे चुके हैं तथा कार्यालय समय समाप्त हो चुका मैं यंहा से रवाना होकर के.डी.ए. पहुंचुंगा इतने में जुगलकिशोर वंहा सें निकल जायेगा तथा फिर कपिल कहेगा के आप समय पर नही आये इसलिए वो निकल गये तथा रिश्वत राशी आप मुझे दे जाओ, इसलिए अब मैं कल ही कपिल सें बात करके केडीए जाऊंगा। परिवादी के कहेनुसार परिवादी दिनांक 04.06.2026 को ही केडीए. जायेगा अतः परिवादी को दिनांक 04.06.2026 को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि लेकर कार्यालय में उपस्थित होने की समझाईश कर परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को प्रातः 10.00 ए.एम. पर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 04.06.2026 समय 10.30 ए.एम. पर पूर्व सें पाबन्दषुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामचन्द्र सैनी एवं श्री देशराज मेघवाल कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय में ही रहने की हिदायत की गई। इसके बाद समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी कार्यालय में मय रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15000 रूपये लेकर उपस्थित आया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि कोर्ट में कार्य अधिकता की वजह से मैं आपके कार्यालय में नहीं आ सका तथा जुगलकिशोर भी सांयकाल ही कार्यालय में आता हैं अतः आज कपिल को रिश्वत देते समय मेरी जुगलकिशोर सें बात हो जायेगी। समय 02.20 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता ने अपने पास से निकालकर भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशि पन्द्रह हजार रूपये मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर निम्न प्रकार है- क्र0स0 नोटों का प्रकार नोटो के नम्बर 1. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 EM 893863 2. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 9 RV 624011 3. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 BF

094810 4. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 DG 927995 5. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 VT 829008 6. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 DC 475371 7. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 NL 806439 8. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 4 FF 831520 9. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 VK 733950 10. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 EE 863566 11. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 WQ 369090 12. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 AQ 495732 13. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 QQ 579670 14. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 VB 623869 15. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 GK 181268 16. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 QB 404328 17. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 EL 769153 18. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 4 AB 414832 19. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 BG 080907 20. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 DC 188268 21. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 9 TB 343829 22. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 MF 057202 23. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 AH 821300 24. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 EE 398383 25. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 NQ 361948 26. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 NW 257212 27. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 GM 684393 28. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 9 KW 736913 29. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 FQ 158541 30. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 GQ 617269 कार्यालय के मालखाने से श्री शिवनारायण सोनी के द्वारा फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशि निकलवाई गई एक अखबार के ऊपर थोडा सा फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर भलीभांती लगवाया गया। गवाह श्री देशराज सें परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता की जामा तलाषी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तू इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर लगे नोटों को श्री शिवनारायण सोनी से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दायीं जेब में रखवाई गई। एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री शिवनारायण सोनी के फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगंुलियों को घुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फ्थीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। श्री गजेन्द्र कुमार मेहता को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति सें हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप सें हाथ लगाये। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेंट की जेब मे से निकालकर उसे देवें तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पष्चात ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल पर मिसकॉल करके ईशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन को अच्छी तरह साबुन सें धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी सें अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की परिवादी के आस-पास नजदीक रहकर श्री गजेन्द्र कुमार मेहता एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेनदेन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पष्चात सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मेमौरी कार्ड लगाकर परिवादी को उसें चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी के गले में धागे सें लटकाया गया तथा हिदायत दी गई की आरोपी से होने वाली वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर के कार्ड में रिकॉर्ड करें। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 04.25 पी.एम. पर परिवादी की कपिल से बात हुई तो कपिल ने कहा कि जुगलकिशोर जी अपने चेम्बर में ही हैं तथा तुम जल्दी से आ जाओ इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता को मय नरेन्द्र सिंह है.कानि.140 व रवि कानि. 285 के परिवादी की कार से आगे-आगे रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय आषिक हुसैन सउनि व अभिषेक कानि. 197 तथा अन्य प्राईवेट वाहन कार से श्री योगेश कानि. 291 मय स्वतंत्र गवाहान, मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, सरकारी मोबाईल, सत्यापन का मूल मैमोरी कार्ड के कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के लिये रवाना हुआ। कार्यालय से रवाना हो समय करीब 04.45 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पृथक-पृथक कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के परिसर में पहुंचे जहां परिवादी अपनी कार से उतर कर बिल्डिंग के दूसरे माले पर गया जिनके पीछे श्री रवि यादव कानि. एवं श्री अभिषेक कानि. को निगरानी हेतु रवाना किया गया करीबन 10-15 मिनट बाद परिवादी एव उसके साथ एक व्यक्ति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के परिसर में बनी केन्टीन में आये तथा चाय पानी पीकर कुछ देर बाद वापस रवाना हुये परिवादी बिना कोई इषारा किये अपनी गाडी की तरफ आया तथा उसने श्री नरेन्द्र सिंह को कॉल करके बताया कि अभी मैने कपिल को पैसे नहीं दिये मेरी उसने जुगलकिशोर से बात तो करवाई हैं लेकिन मैने कपिल को कह दिया कि आज मैं पैसे लेकर नहीं आया कल आऊंगा, जिस पर नरेन्द्र सिंह है.कानि. ने परिवादी को के.डी.ए. परिसर से बाहर चलने तथा रिकॉर्डर बन्द करने

के लिए कहा तत्पश्चात सभी जाब्ता अपने अपने वाहनो ंसें के.डी.ए. परिसर से बाहर आये तथा परिवादी को उसके वाहन से हमराह लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि मैं रिकॉर्डर चालु करके के.डी.ए. में कमरा नं. 212 में गया तो वंहा पर कपिल जी मुझे मिल गये थे तथा उनसें मैने पूछा कि जुगलकिशोर जी यंही हैं क्या तो कपिल ने कहा कि यंही हैं आप यंहा बैठो मैं बात करके आता हूं इसके कुछ समय बाद कपिल मेरे पास आया तथा कहा कि वो तुमसें मिलने के लिए डर रहे हैं तुम उनसें ज्यादा बात मत करना सिर्फ अपने काम के लिए पूछना वो क्या हैं कि वकील, पुलिस आदि से सभी को डर लगता ही है मैने उनको कहा हैं कि डरने की बात नहीं हैं आप तो उनसें मिलकर ये कह देना की आपका काम हो जायेगा, ज्यादा बात मत करना इत्यादि वार्ता करते हुये कपिल मुझे जुगलकिशोर के चेम्बर में लेकर गया वंहा जुगलकिशोर जी टेबल के पास खडे हुये थे तथा फोन पर बात कर रहे थे तथा मेरे द्वारा नमस्कार करने तथा कपिल जी द्वारा इनका परिचय देने पर की ये जुगलकिशोर जी है जुगलकिशोर जी ने मुझे कहा कि ”हो जायेगा हो जायेगा मैने करली इनसे (कपिल) से बात, जिस पर मैने कहा कि-पहले भी क्या हैं साहब वो काम बिगड गया था तो मैने की एक बार मैं तो कपिल जी को जानता हूं बस आप इनको कर देंगे है ना, जिस पर इन्होने कहा कि हां हां“ ओर इसके बाद वो हमारे पास सें चले गये, इन्होने पूर्व योजनानुसार मुझसें खुलकर पूरी बात नहीं की, तथा मै संशय मे था कि जुगलकिशोर से हुई वार्ता रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई या नहीं इसलिए मैने कपिल से बहाना बनाया कि आज तो मैं पैसे लेकर नहीं आया तथा कल कोर्ट के लंच टाईम पर ही आपको दे जाऊंगा, जिस पर कपिल मुझसें नाराज हुआ कि पैसे क्यों नहीं लेकर आये, किन्तु मैने उसको समझा दिया तथा कल के लिए बोलकर मैं बिना कोई इषारा किये आ गया। तत्पश्चात परिवादी से रिकॉर्डर प्राप्त कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता से परिवादी द्वारा कहे गये कथनों पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की फर्द प्राप्ति पृथक सें बनाकर शामिल फाईल की गई। परिवादी की पेंट में रखी हुई रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाहान से निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर रिश्वती राशि के लिफाफे व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मालखाने मे सुरक्षित रखवाये गये। समय 06.30 पी.एम. पर परिवादी एवं स्वंतत्र गवाहान को दिनांक 05.06.2026 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 05.06.2026 समय 10.20 ए.एम. पर पूर्व सें पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामचन्द्र सैनी एवं श्री देशराज मेघवाल कार्यालय में उपस्थित आये। समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने मालखाने से रिश्वती राशि का लिफाफा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री देशराज मेघवाल से पांच पांच सौ रू. के 30 नोट परिवादी की पेंट की दायीं जेब में रखवाये गये तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द किया गया, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक सें बनाकर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई समय 12.30 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता को मय नरेन्द्र सिंह है.कानि. व रवि कानि. के उसके वाहन कार से आगे-आगे रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय आशिक हुसैन व अभिषेक कानि. के तथा अन्य प्राईवेट वाहन से श्री योगेश कानि. मय स्वतंत्र गवाहान, मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिंन्टर, ट्रेप बॉक्स, सरकारी मोबाईल, सत्यापन का मूल मैमोरी कार्ड के कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के लिये रवाना हुआ। समय 12.52 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय जाब्ता के कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के परिसर में पहुंचे परिवादी अपनी कार से उतर कर बिल्डिंग के दूसरे माले पर गया जिनके पीछे योगेश कानि. को निगरानी हेतु रवाना किया कुछ समय बाद परिवादी दिनांक 04.06.2026 के दौराने रिश्वत लेनदेन प्रयास के समय आये व्यक्ति के साथ पुनः केन्टीन पर आया तथा समय करीबन 1.19 पी.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता ने आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का मन् पुलिस उप अधीक्षक को सिर पर हाथ फेर करके पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाह श्री देशराज मेघवाल एवं श्री रामचन्द्र सैनी, ट्रेप पार्टी के सदस्य, श्री आशिक हुसैन, स.उ.नि., श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197, श्री योगेश गोचर कानि. 291, श्री रवि यादव कानि.285 के परिवादी के पास पहुंचा तथा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने बताया कि कपिल ने मुझसें पन्द्रह हजार रू. अपने हाथों से गिनकर अपनी पेंट की जेब में रख लिये हैं तथा वो सामने कुर्सी पर बैठा हुआ हैं, इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री योगेश गोचर कानि. 291 से अपने मोबाईल मे लगे हुए मेमोरी कार्ड में होने वाली कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिये तथा केन्टीन में एक कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति जिसने पीले रंग की शर्ट तथा नीले रंग की जिन्स पेंट पहने हुये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम- श्री कपिलराज पुत्र श्री नन्दलाल जाति खिंची उम्र 46 साल निवासी- मकान न. 28, हिम्मत नगर, द्वितीय, जैन मन्दिर के पास, कुन्हाडी कोटा हाल संविदाकर्मी, कोटा विकास प्राधिकरण कोटा, बताया तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने का मंतव्य बताया तथा उससे परिवादी से ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो बताया कि इनके मकान के पट्टे के नाम हस्तांतरण करवाने के लिए इन्होने 15000 रू. दिये थे जो इन्होने इनकी इच्छा से दिये हैं मैने इनको जबरदस्ती नहीं की हैं, इनके द्वारा दी गई 15000 रू. की राशि मेरी पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हैं, तत्पश्चात परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुय कहा कि मैने इनको जबरदस्ती पैसे नहीं दिये हैं मैं मेरे मकान का नाम हस्तांरण करवाने बाबत ऑनलाईन आवेदन कोटा विकास प्राधिकरण कोटा में किया था मेरे आवेदन पर कोई कार्यवाही नही

होने पर मैं यंहा पर आया तो यंहा पर मुझे ये कमरा नं. 212 में मिले थे इनसें मैने मेरे आवेदन के बारे में बात की तो इन्होने मेरा कार्य करवाने की एवज में 70,000 रू. मांगे जिस पर मैने किष्तो में पैसे देने के लिए कहा था ओर आज इनके मांगने पर इनको 15000 रू. दिये थे जो इन्होने अपने हाथों सें गिनकर अपनी पेंट की जेब में रख लिये थे, जिसके बाद मैने आपको अपने सिर पर हाथ फेरकर इशारा किया है। इस पर आरोपी कपिलराज से उसका मोबाईल प्राप्त कर स्वीच ऑफ करवाया गया तथा स्वंतत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया। कपिराज ने कहा हैं कि परिवादी से ली गई राशि उसने प्राप्त कर अपनी पेंट की जेब में रखे हैं, अतः आरोपी कपिलराज की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, केन्टीन में रखे हुये केम्पर से पानी लेकर एक डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर, गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी कपिलराज के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे का धोवन लिया जाने हेतु केन्टीन में रखे हुये केम्पर से पानी लेकर एक डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर, गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया उक्त गिलास के घोल में बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। काम मे लिये गये दोनों डिस्पोजल गिलासों को जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री कपिलराज की तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री रामचन्द्र सैनी से लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों में पेंट की सामने दाहिनी जेब में पांच पांच सौ रूपये के तीस नोट कुल पन्द्रह हजार रूपये मिले उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतंत्र गवाहान से कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ। उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया, तत्पश्चात आरोपी की पेंट की अन्य जेबों की तलाषी ली गई तो पेंट की आगे की जेब में गाडी की चाबी व मास्क तथा पेंट की पीछे की जेब में एक लेदर का पर्स मिला जिसमें पर्स की अलग-अलग केस में से 2000 रू. का एक नोट, पांच-पाच सौं रू. के 14 नोट, दौ सौ रू. के 3 नोट, सौ रू. के 5 नोट, 50 रू के 2 नोट व पांच रू. का एक नोट, कपिलराज का आधारकार्ड, एक सेलेरियो गाडी नं. आर.जे. 20 सी.एच. 0047 नं. की आर.सी., आदि मिले जिन्हे स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया, आरोपी ने गले में एक रक्षक सिक्योरिटास प्रा0 लि0 (कोटा विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्रमिक) नाम कपिलराज, पिता का नाम- नन्दलाल, जन्म दिनंाक 25.03.1980 शाखा-कच्ची बस्ती, श्रेणी-सहायक लिपिक तथा कपिलराज के हस्ताक्षरित फोटो लगा हुआ पाया गया, जिसको भी वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वती राशि आरोपी कपिलराज की पेंट की जेब से मिलने के कारण आरोपी की पेंट की जेब का धोवन लिया जाना आवष्यक हैं अतः पेंट का धोवन लिये जाने के लिए आरोपी सें पेंट उतरवाई गई तथा उसको पहनने के लिए एक पायजामा लाकर दिया तत्पश्चात पेंट की जेब का धोवन लिये जाने हेतु एक नये डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर व पानी डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात पेंट की जेब को उलटवाकर जेब को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क P-1, P -2 अंकित किया। काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। उपरोक्त पेंट की जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये तथा पेंट को कपडे की थैली में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क- P अंकित कर सील्ड चिट कर कब्जा एसीबी लिया गया। श्री योगेश कुमार कानि. से मोबाईल से की जा रही कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग को बन्द करवाया गया तथा मोबाईल सें मेमोरी कार्ड निकलवाकर सुरक्षित रखा गया। आरोपी के आवास की खानातलाशी बाबत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। परिवादी के कार्य की एवज में श्री कपिलराज द्वारा श्री जुगलकिशोर मीणा, कनिष्ठ सहायक, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा के नाम सें रिश्वत राशि प्राप्त की हैं तथा दिंनाक 04.06.2026 को दौराने रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता के समय श्री कपिलराज ने परिवादी को जुगलकिशोर सें मिलवाया था जिस पर जुगलकिशोर ने परिवादी को कपिलराज से बात होने की सहमति अपने मुंह से बोलकर दी थी अतः कपिलराज द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त करने में श्री जुगलकिशोर की सहमति होने सें जुगलकिशोर बाबत आरोपी कपिलराज सें पूछा तो कपिलराज ने जुगलकिशोर की जनगणना में ड्यूटि होने तथा उनके कोटा विकास प्राधिकरण में अभी कुछ समय से ही डेपूटेशन पर आने सें मोबाईल नम्बर नहीं होने बाबत कहा, जिस पर श्री जुगलकिशोर को डिटेन किये जाने हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया गया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड को लेपटोप से कनेक्ट कर वक्त लेनदेन हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो वार्ता में परिवादी से आरोपी द्वारा कहा गया कि गांधी में बहुत ताकत होती हैं अब आपकी फाईल दौडेगी तथा पन्द्रह हजार रू. गिनकर लेने तथा कार्य को जल्दी ही करवाने तथा जुगलकिशोर से बात होने बाबत वार्ता रिकॉर्ड हुई हैं। परिवादी के कार्य के दस्तावेज बाबत कपिलराज से पूछा गया तो बताया कि इनका आवेदन ऑनलाईन हुआ था अतः ऑनलाईन रिकॉर्ड कार्यालय के कम्प्यूटर अथवा गजेन्द्र जी की आईडी. से प्राप्त कर सकते हो, इस पर परिवादी ने कहा कि वो मैं आपको मेरी

आई.डी. से निकालकर दे दूंगा। परिवादी के कार्य सें संबधित दस्तावेजों की प्रति परिवादी की आई.डी. से प्रिन्ट लिया जाकर संबधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान ही केन्टीन के आसपास काफी भीडभाड हो गई जिनको जाब्ते की मदद सें हटवाया गया किन्तु बार-बार व्यक्ति वंहा आकर कार्यवाही को देख रहे थे अतः अग्रिम कार्यवाही कार्यालय में की किया जाने का निर्णय लेकर समस्त जाब्ता, मय परिवादी, आरोपी कपिलराज, स्वतंत्र गवाहान, मय जब्तषुदा सैम्पलों तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही में काम आने वालें उपकरणों के प्राईवेट वाहनों व परिवादी की कार से कोटा विकास प्राधिकरण कोटा सें रवाना होकर समय 3.00 पी. एम. पर कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो चौकी कोटा पहुंचे, जंहा पर श्रीमती चन्द्रकवंर पुलिस निरीक्षक द्वारा मुताबिक निर्देश के कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खेत सुधार खण्ड, सी.ए.डी. नयापुरा, कोटा से श्री जुगलकिशोर मीणा, कनिष्ठ सहायक के डिटेनशुदा उपस्थित मिली, चौकी पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की डिटेनशुदा जुगलकिशोर से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम- श्री जुगलकिशोर मीणा पुत्र श्री महावीर प्रसाद मीणा जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी- ग्राम रामपुरिया तहसील मांगरोल जिला बांरा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खेत सुधार खण्ड द्वितीय, दायीं मुख्य नहर सी.ए.डी. कोटा हाल प्रतिनियुक्ति, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा बताया तत्पश्चात परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के कार्य व कपिलराज द्वारा उसके लिये ली जाने वाली रिश्वत राशि 15000 रू. बाबत जुगलकिशोर से पूछा तो जुगलकिशोर ने बताया कि मैने इनसें कोई बात नहीं कि ये कल मेरे कार्यालय में आये थे मैने इनको इनका कार्य करवाने के लिए ही कहा था कि आपका काम हो जायेगा मैने इनसें कोई रिश्वत नहीं मांगी है, इस पर परिवादी ने कहा कि ये दोनों आपस में मिले हुये हैं तथा कपिल जी ने इनसें पहले ही बात कर ली थी की मैं आपसे उसको मिलवाऊंगा तथा आपको तो ये ही कहना हैं कि आपका काम हो जायेगा तथा कपिल इनसें मिलवाने ले गया तब पहले इनको समझाकर आया था कि क्या बात करनी हैं तथा मुझे भी इनके पास ले जाने सें पहले कहा था कि आप साहब से ज्यादा बात मत करना सिर्फ काम के लिए बोलना, लेनदेन के लिए तो उन्होने मुझे कह दिया हैं, इसलिए कल मैं इनसें मिलने गया तो ये पहले सें ही टेबल के पास खडे हुये थे तथा फोन पर बात कर रहे थे तथा मेरे द्वारा नमस्कार करने तथा कपिल जी द्वारा इनका परिचय देने पर की ये जुगलकिशोर जी हैं इन्होने मुझे कहा कि ”हो जायेगा हो जायेगा मैने करली इनसे (कपिल) से बात, जिस पर मैने कहा कि-पहले भी क्या हैं साहब वो काम बिगड गया था तो मैने की एक बार मैं तो कपिल जी को जानता हूं बस आप इनको कर देंगे है ना, जिस पर इन्होने कहा कि हां हां“ ओर इसके बाद ये हमारे पास सें चले गये, इन्होने पूर्व योजनानुसार मुझसें खुलकर पूरी बात नहीं की। वार्ता से स्पष्ट हुआ हैं कि जुगलकिशोर को कपिल द्वारा परिवादी के कार्य को करवाने तथा उसकी एवज में रिश्वत लेने के लिए बनाई गई योजना की पूरी जानकारी थी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी गजेन्द्र कुमार मेहता के मकान नं. 10, सी, श्रीनाथपुरम पुर्नवास योजना कोटा का नाम हस्तांतरण बाबत ऑनलाईन आवेदन कोटा विकास प्राधिकरण कोटा में करने पर आवेदन पर कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के अधिकारियों द्वारा रिमार्क लगाया गया, रिमार्क के पूर्ति के पष्चात परिवादी द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा में जाने पर वंहा कपिलराज द्वारा परिवादी के कार्य को करवाने के लिए 70,000 रू. की मांग की गई, कपिलराज द्वारा परिवादी से पूर्व में 20,000 रू. शुल्क तथा विज्ञप्ति के नाम सें ले लिये तथा शेश 50,000 रू. जुगलकिशोर, स्वंय एवं अन्य अधिकारियों के नाम सें मांग की गई तथा परिवादी द्वारा जुगलकिशोर सें मिलने पर उसके द्वारा परिवादी से उसका काम करने तथा कपिल सें उसके (परिवादी के) कार्य के संबंध में बात होने के लिए कहा जिसकी पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.06.2026 व रिश्वत मांग लेनदेन प्रयास वार्ता दिनांक 04.06.2026 सें हुई तथा दौराने रिश्वत लेनदेन आरोपी कपिलराज द्वारा परिवादी से 15,000 रू. अपने हाथो सें प्राप्त कर गिनकर लेने, आरोपी कपिलराज के दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आने, आरोपी की पेंट की जेब सें रिश्वती राशि बरामद होने तथा पेट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आने से आरोपी 1.श्री कपिलराज पुत्र श्री नन्दलाल जाति खिंची उम्र 46 साल निवासी- मकान न. 28, हिम्मत नगर, द्वितीय, जैन मन्दिर के पास, कुन्हाडी कोटा हाल संविदाकर्मी, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा एवं 2.श्री जुगलकिशोर मीणा पुत्र श्री महावीर प्रसाद मीणा जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी- ग्राम रामपुरिया तहसील मांगरोल जिला बांरा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिषाषी अभियंता, खेत सुधार खण्ड द्वितीय, दायीं मुख्य नहर सी.ए.डी. कोटा हाल प्रतिनियुक्ति, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018), 61(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से दण्डनीय अपराध है। समय 05.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के वास्ते घटना स्थल का नजरी नक्षा मौका मुर्तिब करने हेतु मय लेपटॉप प्रिन्टर व सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा के लिये रवाना हुआ।समय 06.15 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के बाद परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नजरी नक्षा मौका मुर्तिब कर कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 08.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी कपिलराज को उसके एवं परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता के मध्य दिनांक 01.06.2026 को रिश्वत मांग के संबंध में मिलने के लिए मोबाईल पर हुई वार्ता, दिनांक 02.06.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 04.06.2026 को वक्त रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता एवं दिनांक 05.06.2026 को हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जिनको

परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी काड्र्स में रिकॉर्ड की गई थी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी काड्र्स में रिकॉर्ड उक्त वार्ताओं में उसकी आवाज का मिलान का परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर सें करवाये जाने हेतु नोटिस नमूना आवाज दिया गया, तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि " श्रीमान जी, मैं अपनी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नहीं देना चाहता हूं"। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.20 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, आरोपी जुगलकिशोर मीणा को उसके एवं परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता के मध्य दिनांक 04.06.2026 को हुई वक्त रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता, जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता में उसकी आवाज का मिलान का परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर सें करवाये जाने हेतु नोटिस नमूना आवाज दिया गया, तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि " श्रीमान जी, मैं अपनी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नहीं देना चाहता हूं"। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 09.00 पी.एम पर आरोपी श्री कपिलराज पुत्र श्री नन्दलाल जाति खिंची उम्र 46 साल निवासी- मकान न. 28, हिम्मत नगर, द्वितीय, जैन मन्दिर के पास, कुन्हाडी कोटा हाल संविदाकर्मी, कोटा विकास प्राधिकरण कोटा का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2)भारतीय न्याया संहिता का प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.30 पी.एम पर आरोपी श्री जुगलकिशोर मीणा पुत्र श्री महावीर प्रसाद मीणा जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी- ग्राम रामपुरिया तहसील मांगरोल जिला बांरा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिषाषी अभियंता, खेत सुधार खण्ड द्वितीय, दायीं मुख्य नहर सी.ए.डी. कोटा हाल प्रतिनियुक्ति, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा, का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2)भारतीय न्याय संहिता का प्रथम दृष्ट्ा अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता एवं आरोपी कपिलराज के मध्य दिनांक 02.06.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता, जिसे परिवादी द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉडर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी कपिलराज की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.30 पी.एम. पर गिरफ्तारषुदा आरोपीगण कपिलराज व जुगलकिशोर का स्वास्थय परीक्षण करवाने हेतु एक तहरीर क्रमांक 1269 दिनांक 05.06.2026 ड्यूटी डॉक्टर, महाराव भीम सिंह चिकित्सालय, कोटा के नाम एव आरोपीगण को रात्रि सुरक्षा की दृष्टि से बाद स्वास्थय परीक्षण दाखिल हवालात करवाने की थानाधिकारी पुलिस थाना नयापुरा, कोटा के नाम तहरीर देकर श्री आषिक हुसैन सउनि, श्री अभिषेक कानि,197, श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158, श्री रवि कुमार कानि. 285 के मय आरोपीगण मय सरकारी वाहन जीप के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कोटा के लिए रवाना किया गया। दिनांक 06.06.2026 समय 12.30 ए.एम. पर श्री आशिक हुसैन सउनि, श्री अभिषेक कानि,197, श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158, श्री रवि कुमार कानि. 285 के मय सरकारी वाहन जीप के बाद आरोपीगण का स्वास्थय परीक्षण करवाकर एवं दाखिल हवालात कर कार्यालय हाजा उपस्थित आयें। समय 2.00 ए..एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता एवं आरोपी कपिलराज व जुगलकिशोर मीणा के मध्य दिनांक 04.06.2026 को वक्त रिश्वत लेन-देन प्रयास हुई वार्ता, जिसे परिवादी द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉडर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी कपिलराज की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन प्रयास वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता एवं आरोपी कपिलराज के मध्य दिनांक 05.06.2026 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता, जिसे परिवादी द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉडर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी कपिलराज की होना पहचान कर बताया। उक्त

वार्ता की मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता हुबहू नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.00 ए.एम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष उपरोक्त गवाहान के समक्ष आरोपी कपिलराज व परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता के मध्य दिनांक 01.06.2026 को रिश्वत मांग के संबंध में मिलने के लिए मोबाईल से हुई वार्ता, व दिनांक 02.06.2026 को आरोपी कपिलराज व परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ताओ की मेमोरी कार्ड में फाईल 260601_1354.mp3 जो 42875 KB, 260602_1340.mp3 जो 81856 KB तथा आरोपी कपिलराज व आरोपी जुगलकिशोर मीणा एवं परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता के मध्य दिनांक 04.06.2026 रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता एवं आरोपी कपिलराज व परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता के मध्य दिनांक 05.06.2026 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ताओ की मेमोरी कार्ड में फाईल 260604_1645.mp3 जो 84118 KB 260605_1253.mp3 जो 39034 KB, हैं, उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं को श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्डो को लेपटोप मे कनेक्ट कर वार्ता की सभी फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वार्ताओ के SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के पांच पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व दो पेन ड्राईव आरोपीयो के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए दो पृथक-पृथक मेमोरी कार्डो Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को मेमोरी कार्डो के कवर में रखकर, दोनो मेमोरी कार्डो को कवर सहित कपडे की पृथक-पृथक थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक मैमोरी कार्ड कवर मे अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिये रखकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही सीजर की कार्यवाही के लिए कार्यालय के मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में, जरिये मोबाईल श्री योगेश कुमार कानि0 291 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। जिसकी मेमोरी कार्ड मे दो फाईल क्रमश 20260605_132825.mp4, जो 4193194 KB 20260605_140136.mp4, जो 3913223 KB की हैं। उक्त मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 के द्वारा लेपटोप पर कनेक्ट करवाकर उक्त मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड हुई विडियो रिकॉर्डिंग फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वीडियोग्राफी को जरिये लेपटॉप SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के एक पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया, एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया तथा मूल मेमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1को माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत जप्त कर कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक मैमोरी कार्ड कवर मे अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिये रखकर शामिल पत्रावली किया गया फर्द प्रतिलिपिकरण व जब्ती पेन ड्राईव व मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई, तत्पश्चात तीनों मेमोरी कार्ड की फर्द एंव हैशे वेल्यू मुर्तिब की जाकर सम्बधितो को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द मुर्तिक शामिल पत्रावली की गई। समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री गजेन्द्र कुमार मेहता, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रामचन्द्र सैनी एवं श्री देशराज मेघवाल को अपने गंतव्य स्थान के लिए रूखसत किया गया। समय 11.15 ए.एम. पर कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टिकल्स धोवन की शील्डशुदा 6 शीशीयां, शील्डशुदा 7 पेन ड्राईव, मूल रिकॉर्डिंग के तीन मेमोरी कार्ड, बरामदशुदा रिश्वती 15000 राशि मय लिफाफा, पेंट का शील्डशुदा पैकिट को मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी गजेन्द्र कुमार मेहता के मकान नं. 10, सी, श्रीनाथपुरम पुर्नवास योजना कोटा का नाम हस्तांतरण बाबत ऑनलाईन आवेदन कोटा विकास प्राधिकरण कोटा में करने पर आवेदन पर कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के अधिकारियों द्वारा रिमार्क लगाना, रिमार्क के पूर्ति के पष्चात परिवादी द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा में जाने पर वंहा कपिलराज द्वारा परिवादी के कार्य को करवाने के लिए 70,000 रू. की मांग करना, कपिलराज द्वारा परिवादी से पूर्व में 20,000 रू. शुल्क तथा विज्ञप्ति के नाम सें ले लिये तथा शेश 50,000 रू. जुगलकिशोर, स्वंय एवं अन्य अधिकारियों के नाम सें मांग करना तथा दिनांक 04.06.2026 सें हुई तथा दौराने रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता में परिवादी द्वारा जुगलकिशोर सें मिलने पर उसके द्वारा परिवादी से उसका काम करने तथा कपिल सें उसके (परिवादी के) कार्य के संबंध में बात होने के लिए कहने पर जुगलकिशोर द्वारा परिवादी से कहना "हो जायेगा हो जायेगा मैने करली इनसे (कपिल) से बात, जिस पर मैने कहा कि-पहले भी क्या हैं साहब वो काम बिगड गया था तो मैने की एक बार मैं तो कपिल जी को जानता हूं बस आप इनको कर देंगे है ना, जिस पर इन्होने कहा कि हां हां" कहने से आरोपी जुगलकिशोर द्वारा कपिलराज के मार्फत परिवादी से वार्ता कर उसके कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन कपिलराज के समक्ष देने व परिवादी से मिलाने के पूर्व कपिलराज द्वारा जुगलकिशोर से मिलकर परिवादी से वार्ता को तैयार करना व उसके कहे अनुसार परिवादी को उसके कार्य का पूर्ण करने का ठोस आश्वासन देना दोनो आरोपीगण की परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने की मिलीभगत की पुष्टि होने

से आरोपी कपिलराज द्वारा परिवादी से 15,000 रू. अपने हाथो सें प्राप्त कर गिनकर लेने, आरोपी कपिलराज के दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आने, आरोपी की पेंट की जेब सें रिश्वती राशि बरामद होने तथा पेंट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आने से आरोपी 1. श्री कपिलराज हाल संविदाकर्मी, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा एवं 2. श्री जुगलकिशोर मीणा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खेत सुधार खण्ड द्वितीय, दायीं मुख्य नहर सी.ए.डी. कोटा हाल प्रतिनियुक्ति, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018), 61(2) बी.एन.एस.का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण 1.श्री कपिलराज पुत्र श्री नन्दलाल जाति खिंची उम्र 46 साल निवासी- मकान न. 28, हिम्मत नगर, द्वितीय, जैन मन्दिर के पास, कुन्हाडी कोटा हाल संविदाकर्मी, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा एवं 2.श्री जुगलकिशोर मीणा पुत्र श्री महावीर प्रसाद मीणा जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी- ग्राम रामपुरिया तहसील मांगरोल जिला बांरा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, खेत सुधार खण्ड द्वितीय, दायीं मुख्य नहर सी.ए.डी. कोटा हाल प्रतिनियुक्ति, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018), 61(2) बी.एन.एस. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (अनिष अहमद) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018), 61(2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण श्री कपिलराज पुत्र श्री नन्दलाल, जाति खिंची, उम्र 46 साल, निवासी- मकान न. 28, हिम्मत नगर, द्वितीय, जैन मन्दिर के पास, कुन्हाडी कोटा हाल संविदाकर्मी, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा एवं 2. श्री जुगलकिशोर मीणा पुत्र श्री महावीर प्रसाद मीणा, जाति मीणा, उम्र 35 साल, निवासी- ग्राम रामपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बांरा, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिषाषी अभियंता, खेत सुधार खण्ड द्वितीय, दायीं मुख्य नहर सी.ए.डी. कोटा हाल प्रतिनियुक्ति, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोपाल सिंह कानावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 139 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 941-44 दिनांक 08.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी चम्बल, कोटा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** GOPAL SINGH KANAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/06/2026 19:47:02

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				
2	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)